झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...02........ वर्ष 2024....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य,
ग्राम- बिजका, पं०- बिजका
प्रखण्ड- भण्डरिया, जिला-गढ़वा

बनाम

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि० - 09/01/2024

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–02/2024 परिवादी श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पंचायत–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–31.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी का आरोप है कि ग्राम बिजका के 51 PH कार्डधारियों अर्थात कुल–259 सदस्यों को विगत छः माह (जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक) राशन PDS डीलर द्वारा नहीं दिया गया है। यह भी कि लाभुकों को छः माह का तेल, नमक, चीनी एवं दाल भी नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx169